<u>न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार</u> <u>न्यायाधीश वर्ग—1,चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0</u>

(पीठासीन अधिकारी– आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. - 13ए/16

संस्थित दिनांक - 02.07.14

- 1. हजारी लाल पुत्र मोतीलाल जाति काछी आयु 56 वर्ष
- 2. अनरत पुत्र हजारी लाल जाति काछी आयु 32 वर्ष
- हेमंत पुत्र हजारी लाल जाति काछी आयु 14 वर्ष नावा0 सर0 पिता हजारी लाल पुत्र मोतीलाल जाति काछी
- 4. जामबती बाई पत्नी कमल जाति काछी आयु 45 वर्ष
- 5. महेश पुत्र कमल जाति काछी आयु 25 वर्ष
- 6. रंजीत पुत्र कमल जाति काछी आयु 13 वर्ष नाबा० सर० माता श्रीमति जामबती बाई पत्नी कमल जाति काछी आयु 45 वर्ष
- 7. संगीता पुत्री कमल जाति काछी आयु 22 वर्ष सभी का पेशा कृषि सभी कृषक ग्राम सिंहपुर चाल्दा एवं सभी निवासीगण हाट का पुरा चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादीगण

विरुद्ध

- 1. बहीद खां पुत्र जुम्मा खां जाति घोसी मुसलमान आयु 45 वर्ष
- 2. अईयुब खां पुत्र जुम्मा जाति घोसी मुसलमान आयु 39 वर्ष
- 3. मतीन खां पुत्र अमीन खां जाति घोसी मुसलमान आयु 30 वर्ष
- 4. शानू खां पुत्र शहीद खां जाति घोसी मुसलमान आयु 23 वर्ष
- 5. इरफान खां पुत्र अमीन खां जाति घोसी मुसलमान आयु 27 वर्ष
- 6. हफीज खां पुत्र गुलाब खां जाति घोसी मुसलमान आयु 42 वर्ष
- 7. अनीशा पत्नी बहीद खां जाति घोसी मुसलमान आयु 41 वर्ष
- नजमा पत्नी अईयुब खां जाति घोसी मुसलमान आयु 36 वर्ष सभी निवासीगण हाट पुरा घुसयाना मोहल्ला चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
- 9. म0प्र0 शासन द्वारा कलैक्टर महोदय, अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

<u>// निर्णय //</u>

ः आज दिनांक 28.02.17 को पारित ः:

01— यह वाद ग्राम सिंहपुर चाल्दा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शें में अ,ब,स,द अक्षरों से चिंहित किया गया है तथा निर्णय के आगे के पदों में जिसे विवादित भूमि के नाम से सबोधित किया जा रहा है, पर वादीगण का स्वत्व घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण से उक्त विवादित भूमि का कब्जा दिलाये जाने की सहायता सिहत प्रतिवादीगण को उक्त विवादित भूमि में वादीगण के स्वत्व आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने के साथ प्रतिवर्ष के हिसाब से दिनांक—03.04.15 से कब्जा प्राप्त होने की दिनांक तक अंतरलाभ धन प्रतिवादीगण से दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया।

- 02— दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादीगण के संयुक्त स्वामित्व है, जिसे वादीगण ने 17 वर्ष पूर्व भूमि जहीर खां से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है,परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण भूमि पर सीमाओं का विवाद करते है जिसको देखते हुये वादीगण ने तहसील में विधिवत फीस जमाकर सीमांकन भी कराया और खेत की सीमायें समक्ष कर चिरा गढवायें और उस समय प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 उपस्थित थे। दिनांक—30.06.14 को वादी क्रमांक अनरत जब अपनी भूमि जोतने गया तो प्रतिवादीगण टैक्टर से लाठी कुल्हाडी लेकर आये और सीमांकन के समय गढवाये गये चीरा पाटने लगे, जिसे रोकने पर प्रतिवादीगण ने अनरत को गालिया दी और जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में लेखबद्ध कराई गई थी। दिनांक—03.04.15 को प्रतिवादीगण ने जबरन शिक्त के बल पर विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया वादी गण को प्रतिवादीगण द्वारा वादी क्रमांक—2 ये झगडा करने पर उत्पन्न हुआ जिसके बाद यह वाद कण्डिका—1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रतिवादी क्रमांक—1 लगायत 8 ने अपने जबाव दावे में वादीगण के दावे के सभी वचनों को स्वीकार करते हुये अभिवचन किये है कि वादीगण की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नही है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 व उनकी मां इमरत बाई की ग्राम सिंहपूर चाल्दा में भूमि सर्वे क्रमांक—133 रक्बा—0.585 हैक्टयर स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि के पूर्व में शासकीय नाला है पश्चित में सर्वे कमांक-134 एवं खुली भूमि है उत्तर में भी शासकीय नाला है तथा दक्षिण में सर्वे क्रमाक—134 तथा शासकीय भूमि एव उसके बाद नाला है। सर्वे क्रमांक-134 की कुछ भूमि पश्चिम और कुछ दक्षिण में लगती है। सर्वे क्रमांक–133 के पश्चिम की ओर शासकीय नाला भी है तथा इस भूमि के दक्षिण की ओर सर्वे क्रमांक-134 के पूर्व की ओर दो बीघा शासकीय खुली भूमि है जिसका कोई सर्वे क्रमांक नही है, वादी गण सर्वे क्रमांक-134 की आंड में सर्वे कमांक—133 एवं शासकीय खुली भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। इस संबंध में दिनांक-08.07.14 को बहीद खा ने वादीगण ने मौके से कब्जा छोड़ने को कहा तो वादीगण ने जबरदस्ती कब्जा कर लेने की धमकी दी। वादीगण ने मानचित्र में बिना किसी आधार के काटछांट की है वाद मूल्याकंन अनुसार न्यायशुल्क अदा नही किया है। सन् 1972 से प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 व उनकी मां वादीगण एवं उनके पूर्वजों की जानकारी में सर्वे क्रमांक—133 पर काबिज हैं, वादीगण से कोई विवाद नही था इसलिए वाद अवधि बाधित है। वादीगण का मुख्य उददेश्य शासकीय भूमि पर कब्जा करना है

जो कि शासकीय निस्तार की भूमि है। अतः दावा सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन

04— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:-

कमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण ग्राम सिंहपुर चाल्दा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 134 रक्बा 0. 355 हैक्टेयर भूमि जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ,ब,स,द अक्षरों में दर्शाया गया है, के वादीगण संयुक्त स्वत्व व आधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित नही।
2.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 8 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	प्रमाणित नही।
3.	क्या वादीगण प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 8 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नही।
4.	क्या प्रस्तुत वाद अवधि वाह्य है ?	प्रमाणित नही।
5.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कण्डिका 28 अनुसार
6.	क्या वादीगण वाद प्रश्न क्रमांक 1 में भूमि होने का आधिपत्य प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नही।
7.	क्या वादीगण प्रतिवादीगण से दिनांक 03.04.15 से कब्जा वापिसी दिनांक तक प्रतिवर्ष 40000/— रूपये प्रतिदर से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नही।

-::सकारण निष्कर्ष::-

विचारणीय प्रश्न कमांक—01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष :—
05— वादीगण के अनुसार विवादित भूमि सर्वे क्रमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर उनके संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जो उन्होंने 17 वर्ष पूर्व भूमि स्वामी जहीर खां पुत्र जहूर खां से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा वादीगण के अनुसार उक्त भूमि से

प्रतिवादी का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण सीमाओं को लेकर विवाद करते हैं। भूमि सर्वे क्रमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर वादीगण के स्वामित्व की भूमि है, इस संबंध में वादीगण के अभिवचनों को प्रतिवादीगण के द्वारा अपने अभिवचनों में कोई चुनौती विशेष रूप से नहीं दी है तथा यह स्पष्ट किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है और न ही उक्त भूमि पर उन्होंनें कब्जा करने का प्रयास किया है।

- 06— वादीगण तथा प्रतिवादीगण के उपरोक्त अभिवचनों से दोनों पक्षों के मध्य इस संबंध में विवाद की स्थिति नही है कि सर्वे क्रमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर वादीगण के स्वामित्व की भूमि है जो कि वादीगण द्वारा पूर्व भूमि स्वामी जहीर खा से क्रय की गई थी। भूमि सर्वे क्रमांक 134 रक्बा 0.355 हैक्टेयर पर वादीगण ने अपना स्वामित्व साबित करने के लिये प्रकरण में उक्त भूमि क्रय करने के संबंध में जहीर खां द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित किया गया पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक—04.09.97 की मूल प्रति प्र0पी0—1 सहित वर्ष 2013—14 के उक्त भूमि से संबंधित खसरे की सत्यप्रतिलिपि प्र0पी0—2 प्रकरण में प्रस्तुत की है तथा साथ ही वादी अनरत कुशवाह व0सा0—1 व मोहन सिह व0सा0—2 के कथन न्यायालय में कराये गये है। मूल विक्रयपत्र प्र0पी0—1 एवं खसरा प्र0पी0—2 की सत्यता को प्रतिवादीगण की ओर से कोई चुनौती नही दी गई है जिससे उक्त दस्तावेज अखण्डित हैं।
- 07— वादी अनरत कुशवाह वा0सा0—1 का अपने शपथ कथनों में कहना है कि सिंहपुर चाल्दा स्थित भूमि सर्वे कमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर उसके परिवार के खाते की भूमि है जो उसने 19 वर्ष पूर्व रिजस्टी द्वारा क्रय की थी और उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त किया था। वादी अनरत कुशवाह व0सा0—1 को उपरोक्त कथनों को उसके प्रतिपरीक्षण में कोई चुनोती न दिये जाने से इस साक्षी की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि भूमि सर्वे क्रमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर वादीगण के संयुक्त स्वामित्व की भूमि है जो उनके द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है। अनरत कुशवाह व0सा0—1 के उपरोक्त कथनों के समर्थन में मोहन सिंह व0सा0—2 ने भी अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि वादीगण की भूमि सिंहपुर चाल्दा में सर्वे क्रमांक—134 है जो लगभग पौने दो बीघा है जो 19 वर्ष पूर्व क्रय की गई थी।
- 08— वादीगण सर्वे क्रमांक—134 में अपने स्वत्व का स्त्रोत प्र0पी0—1 का विक्रय पत्र बता रहे है। जिसके माध्यम से उन्होंने पूर्व भूमि स्वामी जहीर खां से राजस्व खसरों में दर्शित हो रहा रक्बा—0.355 हैक्टेयर क्रय किया है तथा सर्वे क्रमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर भूमि पर ही राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम इंद्राज है। वादीगण ने अपने दावे में उक्त रक्बें पर ही अपने स्वामित्व व आधिपत्य चाहा है तथा स्वयं वादी अनरत कुशवाह वा0सा0—1 ने अपने प्रतिपरीक्षण कण्डिका—2 में यह स्वीकार किया है कि उसका सर्वे क्रमांक—134 है जिसका क्षेत्रफल—0.355 हैक्टेयर है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—3 में वादी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसे केवल सर्वे क्रमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर भाग से मतलब है। अनरत कुशवाह वा0सा0—1 व मोहन वा0सा0—2 ये दोना ही साक्षी

अपने प्रतिपरीक्षण में वादीगण का सर्वे क्रमांक—134 में एक बीघा—14 बीस्बा भूमि होना स्वीकार करते हैं।

- 09— प्रतिवादी पक्ष की ओर से बहीद खा प्र0सा0—1 व अंसार प्र0सा0—2 के शपथ कथन न्यायालय में कराये गये हैं जिसमें इन दोनों ही साक्षियों ने वादी साक्षियों के इन कथनों को कोई चुनौती नही दी है कि सर्वे-134 रक्बा-0.355 हैक्टेयर वादीगण के स्वामित्व की भूमि है। बहीद खां प्र0सा0-1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में यह स्वीकार किया है कि सर्वे क्रमांक 134 वादीगण की है, जो पूर्व भूमि स्वामी जहीर खां से उन्होने खरीदी है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-10 में बहीद खा प्र0सा0-1 ने यह भी स्वीकार किया है कि सर्वे क्रमांक-134 में रक्बा-0.355 हैक्टेयर भूमि यदि वादीगण की मिलती है तो उसे कोई आपत्ति नही है। अतः सिंहपुर चाल्दा स्थित भूमि सर्वे कमांक-134 रक्बा-0.355 हैक्टेयर भूमि के स्वामित्व के संबंध में वादी अनरत क्रुशवाह व0सा0-1 के द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में दी गई अखण्डित साक्ष्य एवं उसकी पुष्टि अनिल प्रजापति व0सा0-2 के कथनों से होने से एवं उक्त भूमि के संबंध में निष्पादित विक्रय पत्र प्र0पी0-1 को प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई चुनौती न दिये जाने से एवं यह स्वीकार कर लेने से कि सर्वे क्रमांक-134 रक्बा-0.355 हैक्टेयर भूमि वादीगण के स्वामित्व की भूमि है से इस संबंध में कोई संशय की स्थिति नहीं रह जाती कि वादीगण ग्राम सिहंपुर चाल्दा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक-134 रक्बा-0.355 हैक्टेयर पंजीकृत विक्रय पत्र प्र0पी0-1 के आधार पर भूमि स्वामी है।
- 10— प्रकरण के विचारण के दौरान कराये गये स्थल निरीक्षण में प्रतिवेदन प्र0सी0—2 तैयार करने वाले राजस्व निरीक्षक प्रतिपाल तिवारी न्या0सा0—1 के कथन न्यायालय द्वारा आदेश—16 नियम—14 व्य0प्र0स0 के प्रावधान के तहत मौके की स्थिति स्पष्ट करने के लिये न्यायालय द्वारा स्वयं कराये गये। उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण वादी तथा प्रतिवादी पक्ष दोनों के द्वारा किया गया है। प्रतिपाल तिवारी न्या0सा0—1 ने इस बात की पुष्टि की है सर्वे कमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर वादीगण का है जो सडक से लगा हुआ है तथा सर्वे कमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर को अ,ब,स,द अक्षरों से चिंहित किया है तथा उक्त अ,ब,स,द भाग के संबंध में ही वादीगण द्वारा स्वामित्व व आधिपत्य घोषित किये जाने की सहायता चाही गई थी तथा प्रकरण के विचारण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा करने के परिणाम स्वरूप कब्जा वापिसी की सहायता भी चाही गइ है।
- 11— अतः सर्वप्रथम तो यह देखा जाना है कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शें में दर्शायें गये अ,ब,स,द भूभाग वास्तव में वादीगण के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक—134 रक्बा—0.355 हैक्टेयर है अथवा नहीं। उक्त बिंदू को स्पष्ट करने के लिये स्थल निरीक्षण के दौरान तेयार किये गये प्रतिवेदन प्र0सी0—2 एवं नक्शा प्र0सी0—3 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य है जिसके संबंध में स्थल निरीक्षण करने वाले एवं निरीक्षण में उक्त रिपोर्ट तैयार करने वाले राजस्व निरीक्षक प्रतिपाल तिवारी न्या0सा0—1 के कथन अभिलेख पर है।

- 12— राजस्व निरीक्षक प्रतिपाल तिवारी न्या०सा०—1 ने अपने कथनों में तैयार किये गये प्रतिवेदन प्र०सी०—2 एवं मौके की स्थिति के नक्शा प्र०सी०—3 की पुष्टि करते हुये न्यायालय में प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—6 में कथन दिये हैं कि सर्वे क्रमांक—134 का रक्बा—0.355 हैक्टेयर है। प्रकरण में वादीगण की और से प्रस्तुत खसरा प्र०पी० 2 से स्पष्ट होता है कि—134 का राजस्व अभिलेखों में रक्बा—0.355 हैक्टेयर है। प्रतिपाल तिवारी न्या०सा०—1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में यह स्पष्ट किया है कि पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार अक्श में सर्वे क्रमांक—133, 134 व 136 बंदोबस्त के समय से बने हुये हैं। परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—6 में यह स्पष्ट किया है कि मौके पर एवं नक्शें में सर्वे क्रमांक—134 का कुल क्षेत्रफल—0.773 हैक्टेयर हैं, जो कि वास्तविक रक्बें से ज्यादा है। अतः राजस्व निरीक्षक प्रतिपाल तिवारी के अनुसार राजस्व खसरों में सर्वे क्रमांक—134 का रक्बा—0.355 हैक्टेयर है जब कि शासकीय नक्शे में एवं मौके की स्थिति अनुसार उक्त सर्वे क्रमांक—134 में बेसी रक्बा—0.418 हैक्टेयर शासकीय भूमि भी शामिल है, जो कि 0.355 हैक्टेयर के अतिरिक्त है।
- 13— अनरत कुशवाह वा0सा0—1 के अनुसार वादीगसण का सर्वे क्रमांक—134 रक्बा—0.355 अथवा—1 बीघा—14 बिस्बा हैक्टेयर पर स्वामित्व है। जिसके सबंध में अनरत कुशवाह वा0सा0—1 व मोहन सिह वा0सा0—2 अपने मुख्यपरीक्षण के शपथ कथनों में कथन देते हैं की प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि रक्बा—0.355 हैक्टेयर पर कब्जा कर लिया गया है, जबिक यही अनरत कुशवाह वा0सा0—1 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में यह स्वीकार करता है, कि पंचनामें अनुसार सर्वे कमांक—134 में दो बीघा रक्बा ज्यादा है तथा उस पर उसका कब्जा है और वह उसे जोत रहा है। प्रतिपाल तिवारी न्या0सा0—1 के अनुसार भी वादीगण नक्शें में दर्शायें गये सर्वे कमांक—134 के दक्षिण दिशा वाले भाग का कुल रक्बा—0.418 जो कि दो बीघा है पर 17 वर्षो से काबिज हैं।
- 14— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण को इस बात की पूरी जानकारी है कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शें में उन्होंने जिस अ,ब,स,द अक्षरों से चिहित भाग पर वह अपना स्वामित्व व आधिपत्य होने का दावा किया है, वास्तव में उक्त अ,ब,स,द अक्षरों से चिहित भाग का क्षेत्रफल उनके द्वारा विक्रयपत्र प्र0पी0—1 के माध्यम से क्रय किये गये क्षेत्रफल से—0.418 हैक्टेयर अधिक है, जो कि बेसी रक्षें अथवा शासकीय भूमि है। नक्शें में बंदोबस्त के समय हुइ त्रुटि के कारण सर्व क्रमांक—134 का रक्बा नक्शें में भले ही अधिक हो गया हो परन्तु राजस्व खसरों में सर्व क्रमांक—134 का रक्बा—0.355 हैक्टेयर है जो कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा प्र0पी0—2 से भी प्रमाणित होता है और रक्बा—0.355 ही वादीगण के द्वारा पूर्व भूमि स्वामी से क्रय किया गया है अतः नक्शें में हुई उक्त त्रुटि का लाभ वादीगण प्राप्त नहीं कर सकता है। चूंकि सर्वे क्रमांक—134 का शासकीय नक्शें के अनुसार रक्बा—0.773

हैक्टेयर जो कि अ,ब,स,द अक्षरों से वादपत्र के साथ सलंग्न नक्शें में विवादित भूमि के रूप में चिहित किया गया है और वादीगण को मात्र—0.355 पर ही विक्रयपत्र प्र0पी0—1 के आधार पर सर्वे क्रमांक—134 में स्वत्व अर्जित हुये हैं उक्त कारण से वादीगण संपूर्ण भूभाग जिसे वादपत्र के साथ सलंग्न नक्शें में अ,ब,स,द अक्षरों से चिहित किया गया है, पर न तो स्वत्व घोषित कराने का अधिकार रखते है और न ही विधिवत उनका आधिपत्य ही उक्त संपूर्ण भू भाग पर घोषित किया जा सकता है।

15— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित नही होता है कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शें में अ,ब,स,द अक्षरों से चिहित की गई संपूर्ण विवादित भूमि का रक्बा मात्र 0.355 हैक्टैयर है और न ही यह प्रमाणित होता है कि वादीगण उक्त संपूर्ण विवादित भूमि जिसे संलग्न नक्शें में अ,ब,स,द अक्षरों से चिहित किया गया है के स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं अतः वादप्रश्न क्रमांक—1 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकरात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक- 02 व 06 का विवेचन एवं निष्कर्ष :-

- 16— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शें मे अ,ब,स,द अक्षरों से चिहित कर जिस भाग को अपने स्वामित्व व आधिपत्य होकर विवादित बताया गया है वास्तव में उक्त भू भाग उनके द्वारा विक्रयपत्र प्र0पी0-1 के माध्यम से क्रय की गइ भूमि से अधिक है और उक्त अधिक भूमि पर वादीगण का या किसी अन्य का कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं क्योंकि उक्त भूमि बेसी रक्बा होकर शासकीय भूमि हैं। राजस्व निरीक्षक प्रतिपाल तिवारी न्या0सा0-1 ने अपने प्रतिवेदन प्र0सी0-2 में व अपने न्यायालीन कथनों में उल्लेख करते हये कथन दिये हैं कि सर्वे क्रमांक-134 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है, तथा उक्त सर्वे कुमांक में जो अतिरिक्त बेसी रक्बा दो बीघा का है, उस पर वादीगण का कब्जा है। प्रतिवादी बहीद खा प्र0सा0-1 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-9 में कथन दिये हैं कि उसका सर्वे क्रमांक-133 है जो सडक से नहीं लगा है लेकिन उसका कब्जा सडक से लग कर है जो सरकारी भूमि है और पूर्वजों के समय से उसका कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी बहीद खा प्र0सा0–1 के कथनों से प्रतिपाल तिवारी न्या0सा0–1 के द्व ारा तैयार किये गये प्रतिवेदन प्र0सी0-2 एवं उसके द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनां की पुष्टि होती है कि अक्श नक्शें में सर्वे क्रमांक-134 के कुछ भाग पर प्रतिवादीगण का भी कब्जा है।
- 17— अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि वादीगण को विक्रय पत्र प्र0पी0—1 के आधार पर सर्वे क्रमांक—134 में मात्र 0.355 हैक्टैयर पर स्वत्व प्राप्त है जबिक वह उससे अधिक रक्बा—0.418 हैक्टेयर पर वादीगण काबिज है तथा शेष बचे रक्बे पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का बिंदू क्या है, यह वादीगण की ओर से प्रतिवादी बहीद खा प्र0सा0—1 के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—11 व 13 में दिये गये सुझाव से स्पष्ट होती है। बहीद खा प्र0सा0—1 के

प्रतिपरीक्षण के किण्डका—11 में वादीगण के विद्धान अधिवक्ता द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि '' वादीगण शासकीय जमीन छोड़े तब हम यानी प्रतिवादीगण सर्वे कमांक—134 छोड़ेंगे।'' इसी प्रकार प्रतिपरीक्षण की किण्डका—13 में यह सुझाव दिया गया है कि ''प्रतिवादीगण हजारी लाल से यह कहते है कि तुम नोले के पास सरकारी जमीन छोड़ दो तब हम 134 नबंर छोड़ेंगे''

- 18— अतः सर्वे क्रमांक—134 पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण के कब्जें के। देखते हुये एवं वादीगण के विद्धान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी बहीद खा प्र0सा0—1 के प्रतिपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त सुझाव के। देखते हुये यह स्पष्ट होता है कि वादीगण के अनुसार वर्तमान में सर्वे क्रमांक—134 के रक्बा—0.418 हैक्टेयर पर जो उनका कब्जा है, उक्त रक्बा मूल रक्बा न होकर बेसी रक्बा है जो कि नक्शें में हुई, त्रुटि के कारण मौके पर एवं नक्शें में अधिक हो गया है जो शासकीय है तथा प्रतिवादीगण सर्वे क्रमांक—134 के जिस रक्बें पर कब्जा किये हुये हैं वह वास्तव में मूल रक्बा है। उपरोक्त सुझाव से एवं वादपत्र में किये गये संशोधन से यह स्थिति समक्ष आती है कि वादीगण के अनुसार वह पूर्व से सर्वे क्रमांक—134 के मूल रक्बें व बेसी रक्बे पर काबिज थे तथा वादीगण के अनुसार मूल रक्बे पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण के विचारण के दौरान कब्जा किया गया है।
- 19— यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि सर्वे क्रमांक—134 बंदोबस्त के समय नक्शें में हुई गडबडी के कारण उसका रक्बा मूल रक्बे—0.355 हैक्टैयर से 0.773 हैक्टैयर हो गया था और आज दिनांक तक वही स्थिति मौक पर है तो उक्त संपूर्ण रक्बा—0.773 हैक्टेयर में किस दिशा वाला भाग मूल रक्बा है तथा कौन सी दिशा का भाग बेसी अथवा शासकीय है, उक्त स्थिति नक्शें में संशोधन एवं तर्मिम उपरांत ही ज्ञात हो सकती है। प्रतिपाल तिवारी न्या0सा0—1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में हालांकि दो बीघा बेसी रक्बे पर वादीगण का 17 वर्षों से कब्जा होना बताया है। प्रतिपाल तिवारी न्या0सा0—1 दिशा स्पष्ट करते हुये, यह कहता है कि 134 के दक्षिण दिशा में उक्त बेसी रक्बा स्थित है। बिना नक्शें में संशोधन के प्रतिपाल तिवारी न्या0सा0—1 यह कैसे कह सकता है कि सर्वे क्रमांक—134 में नक्शें में दर्शित हो रहे रक्बा—0.773 में शासकीय भूमि कौन सी है तथा मूल रक्बा कौन सा है। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—6 में यह स्वीकार करता है कि वह नहीं बता सकता कि प्रतिवादीगण सर्वे क्रमांक—134 के मूल रक्बें पर कब्जा किये है या बेसी रक्बे पर, वही यह साक्षी स्वंय यह स्वीकार करता हे कि वादीगण सर्वे क्मांक—134 के जिस भाग पर कााबिज है वो शासकीय भूमि है या मूल रक्बा है, वह नहीं बता सकता है।
- 20— अतः मौके की स्थिति अनुसार वर्तमान में यह निष्कर्ष दिया जाना संभव नही है कि वास्तव में बेसी रक्बे पर कौन काबिज है और मूल रक्बे पर कौन काबिज है। वादीगण के द्वारा दावा दायरी दिनांक पर संपूर्ण अ,ब,स,द भाग जो कि 0.773 हैक्टेयर हैं पर अपना स्वामित्व व आधिपत्य होना अभिवचनों में कथित किया गया है तथा वादीगण के अनुसार विचारण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा उनके मूल रक्बा—0.355 हैक्टेयर पर

प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया गया है तथा वह 0.418 हैक्टेयर बेसी रक्बें पर काबिज हैं। जैसा की उपर उल्लेख किया जा चुका है कि नक्शें में बिना संशोधन के यह निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं हे कि बेसी रक्बा सर्वे क्रमांक—134 में मौके पर किसी ओर है एवं मूल रक्बा किसी ओर है। वादीगण का यह कहना कि प्रतिवादीगण ने मूल रक्बे पर कब्जा किया है, इसका कोई आधार वादीगण के पास नहीं है।

- 21— वादीगण की ओर से प्रकरण में प्र0पी 4, 5, 6 व 7 के दस्तावेज संपूर्ण भूभाग अ,ब,स,द पर अपना आधिपत्य पूर्व में स्थापित करने के संबंध में प्रस्तुत किये गये हैं उक्त दस्तावेज वादीगण द्वारा वर्ष 2014 में कराये गये सर्वे क्रमांक-134 के सीमाकंन से संबंधित हैं। उक्त सीमाकंन प्रतिवेदन में यह उल्लेखीत है कि वादीगण की सर्वे कमांक-134 रक्बा-0.355 हैक्टेयर की दिशायें समझाते हुये, नपाई कर चारों ओर निशानात कायम कर कब्जा दिया गया, उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त सीमाकंन किसके द्वारा किया गया, यह वादीगण ने न तो स्पष्ट किया है और न ही उस व्यक्ति के कथन ही न्यायालय में कराये गये। प्र0सी0-2 के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मौके पर सर्वे क्रमांक-134 का रक्बा-0.773 हैक्टेयर है, जिसे वादीगण ने भी अपने कथनों में स्वीकार किया है, परन्तु इस बात का उल्लेख वादीगण की ओर प्रस्तृत दस्तावेज प्र0पी0-4 लगायत 7 में नहीं है। नक्शें में यदि रक्बा अधिक है तो बिना नक्शें में संशोधन हुये सीमाकंन किया जाना भी अंसभव है ऐसे में मौके पर प्र0पी0-4 लगातय ७ के अनुसार वादीगण का सीमाकंन उपरांत सर्वे क्रमांक-134 रक्बा-0.355 हैक्टेयर भूमि पर निशानांत कायम कर कब्जा दिया जाना भी संभव नही है। जिससे स्पष्ट है कि बिना मौके पर गये प्र0पी0-4 लगायत 7 की कार्यवाही मात्र कागजी कार्यवाही है, जिसका वास्तविकता से कोई लेनादेना नही है।
- 22— वादीगण की ओर से अभिलेख पर ऐसी कोई विश्वसनीय दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि विक्रयपत्र प्र0पी0-1 के माध्यम से उन्होने सर्वे क्रमांक-134 में 0.355 हैक्टैयर की भूमि किस दिशा की ओर क्रय की थी। वादीगण की ओर से प्रस्तुत स्वत्व का एकमात्र दस्तावेज प्र0पी0–1 के विक्रय पत्र में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि वादीगण द्वारा क्रय की गइ भूमि की चौहदी क्या है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शित करती हो कि प्रतिवादीगण का सर्वे क्रमांक-134 की जिस भूमि पर कब्जा है वास्तव में उक्त भूमि वादीगण या उनके पूर्व भूमि स्वामी जहीर खां के आधिपत्य की रही हो। वादीगण का कहना है कि प्रकरण के विचारण के दौरान प्रतिवादीगण ने सर्वे क्रमांक-134 की भूमि पर कब्जा किया है। जिसके संबंध में थाने पर की गई लिखित शिकायत प्र0पी0-8 व 9 का दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत है, परन्तु मात्र उक्त दस्तावेजों से यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नही है कि प्रकरण के विचारण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा किया गया है। जबकि वादीगण के अभिवचनो के विपरीत स्वयं राजस्व निरीक्षक प्रतिपाल तिवारी न्या०सा०-1 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में यह स्वीकार करता है कि सर्वे क्रमांक-134 पर भी प्रतिवादीगण का पूर्वजों के समय कब्जा चला आ रहा है। यदि प्रतिवादीगण का सर्वे क्रमांक-134 पर पूर्वजों के समय से कब्जा है, जो

प्रकरण के विचारण के दोरान उनके सर्वे क्रमांक—134 में कब्जा किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः ऐसे में वादीगण द्वारा पश्चातवर्ती प्रक्रम पर दावे में कब्जा वापिसी के संबंध में किया गया संशोधन एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया प्रतीत होता है।

23— वादीगण सर्वे कमांक—134 पर क्य किये गये रक्बे से अधिक रक्बे पर काबिज हैं, वर्तमान में जिस रक्बे पर वह काबिज हैं, वह उनके द्वारा क्य की गइ भूमि नही है तथा प्रतिवादीगण जिस रक्बे पर काबिज है वो विक्यपत्र प्र0पी0—1 अनुसार क्य की गइ भूमि है, यह साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नही है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण पूर्व से ही सर्वे क्मांक—134 पर कब्जा किये हुये हैं तथा वादीगण का मूल रक्बे से अधिक पर पूर्व से ही कब्जा भी है। जिसके आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर कब्जा या हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं और यदि वादीगण पूर्व से ही क्य किये गये रक्बे से अधिक रक्बे पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं तो वह राजस्व नक्शें में रक्वें अनुसार संशोधन एवं तर्मिम हुये बिना प्रतिवादीगण के विरुद्ध न तो स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने अधिकारी हैं और न ही वह प्रतिवादीगण के कब्जें की भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद प्रश्न क्मांक—02, 03 व 06 प्रमाणित नहीं होते है अतः वाद प्रश्न क्मांक—02, 03 व 06 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष :-

24— प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये जबाव में यह आपित दी गई है कि भूमि सर्वे कमांक 133 उनके द्वारा 1972 में क्रय की गई थी, जिसके बाद से 1972 से ही प्रतिवादी कमांक—1 व 2 व उनकी मां, वादीगण उनके पूर्व स्वत्वधारियों की जानकारी में अपनी भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण के अनुसार यदि वादीगण का कोई विवाद था तो उन्हें समय अवधि में प्रस्तुत करना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नही किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी0—7 लगायत 11 के खसरो की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की है। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में सर्वे क्रमांक—133 विवादित नही है तथा प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक—133 हैं। वर्तमान प्रकरण में विवाद सर्वे क्रमांक—134 के संबंध में है, जिस पर वादीगण के अनुसार दिनांक—30.06.14 को प्रतिवादीगण ने एक राय होकर उक्त भूमि पर वादीगण के स्वत्व को नकाराते हुये धमकी दी। उक्त दिनांक को वादीगण ने वाद कारण दर्शाते हुये यह वाद दिनांक—21.07.14 को प्रस्तुत किया है जो कि वाद कारण दिनांक से विहित समय अवधि में है। अतः वाद प्रश्न क्मांक—04 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 07 का विवेचन एवं निष्कर्ष :--

25— अभिलेख पर आई साक्ष्य एव उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित नही है कि की वादीगण वादपत्र के साथ संलग्न नक्शें में अ,ब,स,द अक्षरों से चिहित की गई विवादित भूमि के पूर्ण रूप से संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य धारी हैं। अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर सर्वे कमांक—134 के कुछ भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना प्रमाणित है परन्तु सर्वे कमांक—134 के अक्श नक्शें एवं मौके पर मूल रक्बे से अधिक भूमि होने से यह निष्कर्ष नक्शें में संशोधन हुये बिना नही निकाला जा सकता कि मूल रक्बे पर कौन काबिज है तथा बेसी रक्बें पर कौन काबिज है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण दोनो का ही कब्जा पूर्व प्रकरण के विचारण के दौरान प्रतिवादीगण ने वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर कब्जा किया या वर्तमान में कब्जें में है यह प्रमाणित नही है अतः ऐसे में वादीगण को जो कि क्रय किये गये रक्बे से अधिक रक्वे पर पूर्व से ही काबिज है उन्हें 40000/— की प्रतिदर से कोई क्षति प्रतिवादीगण के कब्जे से हुई है यह प्रमाणित नही होता है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण से 40000/— की दर से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही हे। अतः वादप्रश्न कमांक 7 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक—05 का विवेचन एवं निष्कर्ष :— सहायता एवं वाद व्यय:—

- 26—वादीगण सर्वप्रथम तो यह साबित करने में सफल नहीं हुये कि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शें में दर्शाया गया अ,ब,स,द भाग की विवादित भूमि पूर्ण रूप से उनके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है। वादीगण पर ये दायित्व था कि वह साबित करें की सर्वे कमांक—134 का रक्बा—0.355 हैक्टैयर भूमि जो विक्रय पत्र प्र0पी0—1 के माध्यम से क्रय की गई उस पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा है परन्तु वादीगण यह साबित करने में भी सफल नहीं हुये अतः वादीगण प्रतिवादीगण विरुद्ध कोई भी सहायता राजस्व अक्श में संशोधन के पूर्व प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त निष्कर्ष से किंचित भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रतिवादीगण को सर्वे क्रमांक—134 के किसी भी भू भाग पर स्वत्व का कोई आधार अर्जित हो गया है सर्वे क्रमांक—134 के भू भाग पर कब्जे के संबंध में उनकी स्थिति अतिक्रमक के तौर पर है, जिसके संबंध में शासन विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं।
- 27—अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

- 01:- यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।
- 02:— वादी स्वयं का व प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगें।
- 03:— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे। तद्नुसार डिकी की रचना की जावें।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र. मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.